

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 25)

म  
न

102110 मुकाम बहरोड, अक्षयपुर  
 अनोवर गिर्द बनाम डाइनि लिई  
 दावा नं० 58 सन् 9-4-2012

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामिल  
 में जारी हुए

वकील काली ने पेश किया। फर्द रजि. हो। प्रतिपक्षी  
 जै समत तब हो। दिनांक 3/12 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
 बहरोड (अक्षयपुर)

आज पत्रावली पेश हुई। [Signature] के वकील  
 उपस्थित है। [Signature] को समय चाहते हैं।  
 पत्रावली वास्ते [Signature] का  
 दिनांक: 7-5-12 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
 बहरोड (अक्षयपुर)

7-5-12 आज पत्रावली पेश हुई। बकलाय फरीको  
 एप. पीठासीन अधिकारी अक्षयपुर/दो.  
 मिटिंग म पधारें हैं। पत्रावली उनक  
 समय दि. 29/5/12 को पेश हो।

23/5/12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ  
 ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकाराने  
 पत्रावली दिनांक 5/11/12  
 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर बहरोड

5/11/12 आज पत्रावली पेश हुई। बकलाय फरीको  
 एप. पीठासीन अधिकारी अक्षयपुर/दो.  
 मिटिंग म पधारें हैं। पत्रावली उनक  
 समय दि. 12-11-12 को पेश हो।


12-11-12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ  
 ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकाराने  
 पत्रावली दिनांक 29-11-12  
 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर बहरोड

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।

66-24 आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोर्ट भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह अदम प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण जारी किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर पोला लेख मण्डार अलवर जमा करवाई जायें।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
नीमराना (कोटपूतली-करोड़)

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 25)

ACEMo मुकाम बहरोड, अलवर  
 मनोहर सिंह बभाग अ-इनिशिए  
 शर्मा पर 212 RTM नं० 31 सन् 3-4-2012

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
<p>वकील प्राधी ने पेश डिपा। वर्जिनि. हा/अप्राधीगण जसे साटिस तल्ल- हा। किनाफ 3/5/12 को पेश हा।</p> <p>अ/स/म आज पत्रावली पेश हुई। प्राधी के वकील उपस्थित है। वकील को समुदाय पेश है। पत्रावली वास्तु तल्ल को दिनांक 7-5-12 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर बहरोड (अलवर)</p>	
<p>7/5/12 आज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फ. उप. पीठासीन अधिकारी अधकाश/द मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली उनक उपक्ष दि. 29/5/12 को पेश हो।</p> <p>29-5-12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान प्राधी पत्रावली दिनांक 29/5/12 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर बहरोड</p>	
<p>29/5/12 आज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फ. उप. पीठासीन अधिकारी अधकाश/द मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली उनक उपक्ष दि. 29/5/12 को पेश हो।</p> <p>12/6/12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान प्राधी पत्रावली दिनांक 29-5-12 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर बहरोड</p>	

75/17

आज पत्रावली पेश हुई। अनिभाषक संघ ने कार्य स्थगित। पत्रावली दि. 15-6-18 को पेश हो।

उपसचिव अधिकारी  
नीमराना (अलख)

75/17

आज पत्रावली पेश हुई। अनिभाषक संघ ने कार्य स्थगित। पत्रावली दि. 15-6-18 को पेश हो।

उपसचिव अधिकारी, नीमराना

15/18

आज पत्रावली पेश हुई। यकूलार... 29/6...  
नियमित अधिकारी अलख/अलख  
मिडिंग में पेश है। पत्रावली रुकने  
लम्ब दि. 14-6-18 को पेश हो।

न्याय आपके द्वार 2018

लोक अदालत 2018 अभियान होने से इस भण्डार की  
सम्बन्ध राजस्व वाले को ईजाई किया। जिससे इस  
पत्रावली पर अभावों तिथि 14-6-18 नियत की  
अतः उक्त पत्रावली नियतित कोर्ट मुख्यालय अलख सेवा  
केंद्र पर दि. 28-5-18 को पेश हो।

उपसचिव अधिकारी  
नीमराना (अलख)

28-5-18

आज पत्रावली पेश हुई। अनिभाषक संघ ने कार्य स्थगित। पत्रावली दि. 15-6-18 को पेश हो।

उपसचिव  
नीमराना

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठारोनी अधिकारी :- सुरेश कुमार बुनकर (आर.ए.एस.)

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट :- मुख्यालय नीमराना  
प्रा0पत्र संख्या  
885/2015

रजू दिनांक  
01.01.2015

निर्णय दिनांक  
28.05.2018

उनवान

मनोहरसिंह वगै0 बनाम अर्जून सिंह वगै0

-: प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट :-

-: निर्णय:-

दिनांक :- 28.05.2018

ज यह पत्रावली हमारे समक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय नीमराना पर पेश हुई।  
वली दिनांक 09.04.2012 से तलबी में लम्बित है। वादी को प्रतिवादीगण के तलबी करवाने के  
-बार अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 25.01.2017 को प्रार्थी को अप्रार्थीगण की रजि0 तामील के  
श दिये गये थे लेकिन वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि0 तलबाना पेश नहीं किया है।  
प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रा0पत्र में कोई रूची नहीं है। लिहाजा वादी का प्रा0पत्र अन्तर्गत  
212 आरटीएक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

-:आदेश:-

तः प्रार्थी का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट बाबत आराजी ख.नं. हाल 1899, 1896 वाके  
गलकोटा तह0 नीमराना खारिज किया जाता है।  
दिनांक 28.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार लोक कैम्प/कोर्ट मुख्यालय  
में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया ।

  
(सुरेश कुमार बुनकर)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

उप खण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर)